M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 30.06.2025

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1054

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S G.V. INDUSTRIES:
22-A, INDUSTRIAL AREA, DHAR **CONTECT PERSON** - AZIZ KHAN, PARTNER 9826469388

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. <u>वारण्टी</u> : स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. <u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. <u>अन्य नियम एवं शर्ते</u> : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

1055
30-6-25

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S G.V. INDUSTRIES:** 22-A, INDUSTRIAL AREA, DHAR **CONTECT PERSON -** AZIZ KHAN, PARTNER 9826469388

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025-26 / 1061

दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग - अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S AARADHYA ENTERPRISES, 882 VILLAGE TUKRANA A.B. ROAD, DISTT-SHAJAPUR (MP) 465001 **CONTECT PERSON-** SMT SHEELA DEVI MOB - 8584301120, 8435317008

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **<u>आदेश की प्रकिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

1062
01-7-25

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S AARADHYA ENTERPRISES,** 882 VILLAGE TUKRANA A.B. ROAD, DISTT-SHAJAPUR (MP) 465001

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025-26 / 1087 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S VARDHANS CEMENT PRODUCTS, ADDRESS : INDUSTRIAL AREA, A.B. ROAD BILAPURA, PACHORE, DISTT. RAJGARH (MP) **CONTECT PERSON :** SHRI JAI VARDHAN SINGH (PROPRIETOR) MOB : 7000746858, 8109264071

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	**10272**	**1849**	**12121**	**10272**	**514**	**1941**	**12727**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

1088
01-7-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S VARDHANS CEMENT PRODUCTS, ADDRESS** : INDUSTRIAL AREA, A.B. ROAD BILAPURA, PACHORE, DISTT. RAJGARH (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1063 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS,
ADDRESS - INFRONT INDIAN GAS GODAM,MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001
CONTECT PERSON - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रकिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Indi. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

1064
01-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS, ADDRESS** - INFRONT INDIAN GAS GODAM,MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTECT PERSON** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

M.P. Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025-26 / 1042 दिनांक : 30.06.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग - अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S GANRAJ TRADERS & FEBRICATORS, ADDRESS - NEAR SITLA MATA MANDIR DHANIRAM KA BAGICHA SUBEDAR WARD GULAB BABA RAOD,SAGAR(MP)
CONTECT PERSON-DEEPAK CHOURASIYA **MOB**-8839941662, 7999675947

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्तें, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/6/25

प्रतिलिपि :– 1043 / 30-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S GANRAJ TRADERS & FEBRICATORS,** NEAR SITLA MATA MANDIR DHANIRAM KA BAGICHA SUBEDAR WARD GULAB BABA RAOD,SAGAR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/6/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1083 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S V.S. ENTERPRISES (ANOOP KUMAR SHUKLA) : ADDRESS - 69, NEERJA NAGAR J.K. ROAD, WORKS 104-B BAGRODA INDUSTRIAL AREA, BHOAPL - 462026 **CONTECT PERSON** - ANOOP KUMAR SHUKLA - 8103319111

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>**दरों की प्रभावशीलता**</u> : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **30.06.2025** से **29.09.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. <u>**आदेश की प्रकिया**</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State ... Dev ... BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 1084 / 01-7-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S V.S. ENTERPRISES (ANOOP KUMAR SHUKLA) :** 69, NEERJA NAGAR J.K. ROAD, WORKS 104-B BAGRODA INDUSTRIAL AREA, BHOAPL - 462026

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro. Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1085

दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु ''ऑन–लाईन'' रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S BALAJI ENTERPRISES : ADDRESS - 20 BANDI CHOD MARG, GRAM GIYANPURA, DHAR (MP) **CONTECT PERSON** - SUNIL MITTAL - 9109555996, 7000063670

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	**10272**	**1849**	**12121**	**10272**	**514**	**1941**	**12727**
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	**8200**	**1476**	**9676**	**8200**	**410**	**1550**	**10160**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में ''ऑन–लाईन'' रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति :** In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता :** अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

1086
01-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S BALAJI ENTERPRISES : ADDRESS** - 20 BANDI CHOD MARG, GRAM GIYANPURA, DHAR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1083 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S V.S. ENTERPRISES (ANOOP KUMAR SHUKLA) : ADDRESS - 69, NEERJA NAGAR J.K. ROAD, WORKS 104-B BAGRODA INDUSTRIAL AREA, BHOAPL - 462026 **CONTECT PERSON** - ANOOP KUMAR SHUKLA - 8103319111

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. Sta... I. Dev... BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :– 1084
01-7-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S V.S. ENTERPRISES (ANOOP KUMAR SHUKLA) :** 69, NEERJA NAGAR J.K. ROAD, WORKS 104-B BAGRODA INDUSTRIAL AREA, BHOAPL - 462026

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1069 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
————————

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु ''ऑन–लाईन'' रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREE GOURAV LAGHU UDYOG AND FABRICATION (OPC) PRIVATE
SHRIMATI RAJSHRI, SHRINAGAR COLONY, SHUJALPUR MANDI, SHUJALPUR, SHAJAPUR - 465333 **CONTECT PERSON** - SOURABH SAXENA - DIRECTOR 7000351200, 9584301120

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **30.06.2025** से **29.09.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में ''ऑन–लाईन'' रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले** PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH **निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तो एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

1070
01-7-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S SHREE GOURAV LAGHU UDYOG AND FABRICATION (OPC) PRIVATE**
   SHRIMATI RAJSHRI, SHRINAGAR COLONY, SHUJALPUR MANDI, SHUJALPUR, SHAJAPUR - 465333

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1067 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें **FOR DESTINATION** (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S YOGESH DIVERSIFIED PRIVATE LIMITED - GADOU JAWAHAR, BLOCK - KHURAI DISTT. SAGAR - 470118 **CONTECT PERSON** - MANISH KUMAR AHIRWAR - 7880055225

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :– 1068 01-7-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S YOGESH DIVERSIFIED PRIVATE LIMITED** - GADOU JAWAHAR, BLOCK - KHURAI DISTT. SAGAR - 470118

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1081 दिनांक : 30.06.2025 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SADGURU SAI INFRA WORLD PRIVATE LIMITED : ADDRESS - VILLAGE AND POST KHAUR, TEHSIL REWA, DISTT. REWA - 486001 **CONTECT PERSON** - UDAY PRAKASH SINGH, DIRECTOR - 8085253636

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

1082
01-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S SADGURU SAI INFRA WORLD PRIVATE LIMITED : ADDRESS** - VILLAGE AND POST KHAUR, TEHSIL REWA, DISTT. REWA - 486001

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1071

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें **FOR DESTINATION** (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH
ADDRESS - GRAM HASLPUR KAMDPUR ROAD, THE. MHOW DISTT. INDORE - 453441
CONTECT PERSON - PRAFULL PANCHAL - PROPRIETOR - 9301535000

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **<u>आदेश की प्रकिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तो एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

1072
01-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH,** GRAM HASLPUR KAMDPUR ROAD, THE. MHOW DISTT. INDORE - 453441

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025-26 / 1065 दिनांक : ~~30.06.2025~~ 01-7-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग - अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA : 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)
CONTECT PERSON - RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रक्रिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

---- 4

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

1066
01-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA** : 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP) **CONTECT PERSON** - RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1044 दिनांक : 30.06.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI INDUSTRIES : ADDRESS - KANJIYA ROAD, KHIMLASA DISTT. SAGAR (MP) **CONTECT PERSON** - NARAYAN SINGH, PRO. 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :- 1045 / 30-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S MAHALAXMI INDUSTRIES : ADDRESS** - KANJIYA ROAD, KHIMLASA DISTT. SAGAR (MP)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025-26 / 1046 दिनांक : 30.06.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S TRUE VISION INC, ADDRESS : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रकिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. ★BHOPAL★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :- 1047 30-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S TRUE VISION INC, ADDRESS** : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 30.06.2025

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025-26 / 1048

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग - अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S PUNA IRON INDUSTRIES, IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT PERSON** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	**10272**	**1849**	**12121**	**10272**	**514**	**1941**	**12727**
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	**8200**	**1476**	**9676**	**8200**	**410**	**1550**	**10160**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जांवे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :- 1049 / 30-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES,** IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CON. PERSON** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1050 दिनांक : 30.06.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES, PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.)
CONTECT PERSON - RAJDEEP RICHHARIYA: 9617796889

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	**10272**	**1849**	**12121**	**10272**	**514**	**1941**	**12727**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगें। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

प्रतिलिपि :- 1051/30-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES,** PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.) **CONTECT PERSON** - RAJDEEP RICHHARIYA: 9617796889

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
30/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 30.06.2025

मुख्या / विपणन / RCC BENCH - 53 / 2025–26 / 1052

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025

निगम द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NEW MALWA AGRO AND FEBRICATORS : 21, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA, DHAR (MP) **CONTECT PERSON** - MUJIB UR REHMAN KHAN - 9425046639

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH								
01	Precast concrete reinforced bench with armrest with seating capacity of **THREE PERSONS.**	10272	1849	12121	10272	514	1941	12727
02	Precast concrete reinforced bench without armrest with seating capacity of **TWO PERSONS.**	8200	1476	9676	8200	410	1550	10160

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 30.06.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 30.06.2025 से 29.09.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 2

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखें।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** स्थापित की जाने वाले PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH की वारण्टी अवधि आर.सी.ओ. अनुसार 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 13.02.2025 अनुसार रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा PRECAST CONCRETE REINFORCED BENCH हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

30/06/25

प्रतिलिपि :- 1053 30-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
6. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S NEW MALWA AGRO AND FEBRICATORS :** 21, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA, DHAR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

30/06/25